तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
अभि0प्रार्थीश्री एस.के.व्यास के ब्रीफ होल्डर श्री मदनपुरी गोस्वामी
अप्रार्थी सं.1 की तामीली पूर्ण, बावजूद सूचना अनुपस्थित
श्री लोकेन्द्र सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता

दिनांक : 25.11.2021

निर्णय

यह निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2005 में पारित निर्णय दिनांक 4–10–2006 के विरूद्ध धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने तहसीलदार बारां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेलखेडी में हमारे शामलाती खाते की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व स्व.श्रीमती गुलाबबाई 1/2–1/2 समान हिस्सा दर्ज काबिज है। मृतक गुलाब बाई हमारे पास ही रहती थी उसकी अंतिम समय में सेवा चाकरी हमारे द्वारा ही की गई, जिससे प्रसन्न होकर उसने हमें संयुक्त रूप से वसीयत दिनांक 17–2–2002 को की थी। इसलिए मुताबिक वसीयत श्रीमती गुलाब बाई के 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण हमारे नाम दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर एवं पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट तलब करके गवाहों के बयान साक्ष्य दर्ज कर वसीयत को सही मानकर अपने निर्णय दिनांक 13–7–2004 द्वारा प्रार्थीगण के नाम श्रीमती गुलाब बाई का हिस्सा दर्ज करने का पटवारी हल्का को आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीया सं.1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमलाबाई द्वारा जिला कलक्टर बारां के समक्ष प्रथम अपील पेश की जो दिनांक 1–12–2004 को स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 1–12–2004 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष पेश की जो निर्णय दिनांक 4–10–2006 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मृतक गुलाब बाई के 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण व अप्रार्थीया सं.1 का समान हिस्सा दर्ज करने का आदेश प्रदान किया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी पेश की है। उनका बहस में आगे तर्क है कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की अपील थी, अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा ना ही कोई अपील की गई और ना ही काउन्टर अपील फाईल की गई, फिर भी द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थीया सं.1 के हक में 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा मात्र इंतकाल कार्यवाही को चुनौती दी गई है परन्तु उसके द्वारा आज दिन तक प्रार्थीगण के पक्ष में लिखित वसीयत को कही चुनौती नहीं दी गई है तथा ना ही भूमि के बंटवारा व कब्जे प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही अमल में लाई गई है। किन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर गौर न कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनांक 4–10–2006 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार बारां का निर्णय दिनांक 13–7–2004 बहाल किया जावे। विद्वान अधिवक्ता उप राजकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 4–10–2006 को समुचित बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमाबंदी संवत् 2059–62 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 139, 738, 747 किता 3 कुल रकबा 6.78 हेक्टर भूमि कल्याणी बेवा पृथ्वीलाल, मदनलाल, रमेशचन्द्र, राजेन्द्र, हंसराज पि0पृथ्वीलाल, मोहनी पुत्री पृथ्वीलाल व गुलाब बेवा कान्हा कौम खाती हिस्सा बराबर दर्ज है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 4–10–2006 द्वारा प्रार्थीगण की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर तहसीलदार बारां को मृतक खातेदार श्रीमती गुलाब बाई की विरासत प्रार्थीगण मदनलाल, रमेशचन्द्र, हंसराज, राजेन्द्र पुत्रान पृथ्वीराज हिस्सा 1/2 व श्रीमती कमला पुत्री कान्हा 1/2 दर्ज किये जाने का आदेश दिया है एवं अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि– ''इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि श्रीमति कमला बाई मृतक खातेदारा श्रीमति गुलाब बाई की पुत्री है तथा प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण श्रीमति गुलाब बाई को अपने पति श्री कन्हैया लाल से प्राप्त हुई है। श्री कन्हैया लाल के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी पत्नि श्रीमति गुलाब बाई व पुत्री श्रीमति कमला बाई उनके वारिश थे परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण श्रीमति गुलाब बाई पत्नि स्व0 श्री कन्हैया लाल के नाम ही दर्ज किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। चूंकि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें श्रीमति कमला का अपनी माता श्रीमति गुलाब बाई के साथ 1/2 हिस्सा प्रारम्भ से ही है। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक खातेदारा श्रीमति गुलाब बाई द्वारा अपने हिस्से 1/2 कृषि भूमि की वसीयत अपने भतीजे श्री मदन लाल, श्री रमेश चन्द्र, श्री राजेन्द्र, श्री हंसराज पुत्रान श्री पृथ्वीराज के नाम की गयी है।'' उपरोक्त विवेचन से यह है सष्ट कि विवादग्रस्त आराजी में श्रीमती गुलाब बाई भी बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीया संख्या 1 श्रीमती कमला बाई, श्रीमती गुलाब बाई की पुत्री होने से श्रीमती गुलाब बाई की विरासत में 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने की हकदार है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा ने श्रीमती गुलाब बाई की विरासत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का जो निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधि सम्मत है एवं जिससे हम सहमत हैं तथा इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनाकं 4–10–2006 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	